भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 976

28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत निधि आवंटन

976. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष पद्धतियों में अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण, सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) और सूचना आदान-प्रदान में सहायता प्रदान करने के आयुर्ज्ञान योजना के उद्देश्य को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ख) आयुर्ज्ञान के अंतर्गत आवंटित कुल केन्द्रीय निधि कितनी है तथा उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित निधियों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुर्ज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से, कितने सीएमई कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में कोई अनुसंधान परिणाम या शैक्षिक मॉड्यूल विकसित किए गए हैं या प्रायोगिक रूप से लागू किए गए हैं और यदि हां, तो शैक्षिक गुणवत्ता या चिकित्सक दक्षता पर प्रभाव हेतु इन उपायों के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय, आयुष में अनुसंधान और नवाचार हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण इत्यादि के माध्यम से बाह्यवर्ती अनुसंधान गतिविधियां और शिक्षा प्रदान करके वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान नामक एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के 03 घटक हैं, अर्थात (i) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान और नवाचार (आर एंड आई) एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान (एबीआईएचआर) नामक तीसरे घटक को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत, योजना की शुरूआत से अब तक 303 परियोजनाओं/कार्यक्रमों (अर्थात सीएमई घटक के तहत 258, आर एंड आई घटक के तहत 34 और एबीआईएचआर घटक के तहत 11) को मंजूरी दी गई थी।

(ख): आयुर्ज्ञान योजना के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 98.27 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त, एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होने के कारण निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित या आवंटित नहीं की जाती है। इस योजना के तहत, देश भर में पात्र संगठनों/संस्थानों

को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और 2021-22 से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विभिन्न संस्थानों/संगठनों को 10.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग): इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विभिन्न संस्थानों/संगठनों के माध्यम से कुल 24 सीएमई/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हालाँकि, आयुर्ज्ञान योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गोरखपुर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): आयुर्स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटक के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी; और केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), झांसी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयुर्ज्ञान योजना के सीएमई घटक ने आयुष कर्मियों की निरंतर व्यावसायिक सक्षमता सुनिश्चित करते हुए, देश भर में आयोजित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आयुष चिकित्सकों, शिक्षकों और पैरामेडिकल स्टाफ के कौशल और ज्ञान उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
